

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या / 1156 / 2015 / बीकानेर

2. अपील संख्या / 1157 / 2015 / बीकानेर

मैसर्स आई.पी.सिंह कन्सट्रक्शन कम्पनी,
पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, बीकानेर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक
श्री अनिल पोकरणा,
उपराजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 28 / 08 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः अपील संख्या 309/आरवैट/बीकानेर/2013-14 एवं 158/आरवैट/बीकानेर/2014-15 में पारित क्रमशः आदेश दिनांक 26.11.2014 एवं 05.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित क्रमशः आदेश दिनांक 04.03.2013 एवं 19.01.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत आरोपित कुल मांग राशि क्रमशः रुपये 13,295/- एवं 80,835 को यथावत रखा गया है।
2. इन दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के विवरण पत्र पेश किये गये, जिनमें 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क मानकर कर राशि जमा करवायी गई। इस पर सशक्त अधिकारी ने 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क मानकर कर का आरोपण कर कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने अपीलाधीन आदेशों द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें पेश की गयी है।

॥

लगातार.....2

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी-व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि कर निर्धारण अधिकारी ने 1.5 प्रतिशत के स्थान पर जो 3 प्रतिशत की दर से कर का आरोपण किया है, वह विधि के विरुद्ध है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 25.03.2012 तक जारी समस्त कार्यादेशों के लिए मुक्ति शुल्क योजना के अनुसार विकल्प लेने पर चार श्रेणियां अधिसूचित की गई थी, जिसके अनुसार भवन निर्माण संबंधित कार्य के लिए मुक्ति शुल्क की दर 1.5 प्रतिशत अधिसूचित थी। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि सशक्त अधिकारी द्वारा जो 1.5 प्रतिशत दर से कर मुक्ति शुल्क को संशोधित कर 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क का आरोपण किया है, वह विधि सम्मत है। उन्होने आगे अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संविदा का कार्य लेकर ठेका कार्य किया जाता है। इस बाबत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, डिवीजन जैसलमेर द्वारा प्राप्त संविदा कार्य प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया गया, एवं इस कार्य पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के अनुसार कर मुक्ति शुल्क योजना के विकल्प का प्रार्थना प्रपत्र WT-1 में दिनांक 25.04.2012 को प्रस्तुत किया गया था, जो विलम्ब शुल्क के साथ जमा करवाया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भवन निर्माण संबंधित संविदा कार्य पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क मानकर कर निर्धारण किया गया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के पैरा संख्या 8 को उल्लेखित किया जाना आवश्यक है, जिसके अनुसार-

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of section 8 of the Rajasthan value added tax act, 2003 (act number 3 of 2003), the state government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the Registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract subject to the following conditions, namely :-

(8.) That the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.



लगातार.....3


LIST

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25%
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.50%
3.	Works contracts relating to installation of plants and machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material.	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1, 2 and 3.	3.00%

8. राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में परिवर्तन करते हुए भवन निर्माण कार्य पर ईसी शुल्क 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत से निर्धारित की है। अपीलार्थी व्यवहारी को ठेका कार्य दिनांक 13.01.2011 को आवंटित हुआ है तथा अपीलार्थी को ठेका कार्य का भुगतान दिनांक 01.04.2012 के बाद प्राप्त हुआ है। अब चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी को ठेका कार्य दिनांक 13.01.2011 को आवंटित हुआ है, तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना ठेका कार्य मिलने के पश्चात् दिनांक 26.03.2012 के द्वारा जारी की गई है, अतः उक्त अधिसूचना अपीलार्थी व्यवहारी पर लागू नहीं होगी, क्योंकि यह Retrospective Effect से लागू नहीं की गई है। दिनांक 26.03.2012 के पूर्व के कार्यदेशों (Work orders) पर दिनांक 11.08.2006 की अधिसूचना में दर्शाई गई ई.सी. फीस लागू होगी। अपीलार्थी व्यवहारी ने ई.सी. फीस के लिए देरी से दिनांक 25.04.2012 को आवेदन किया है। जिसके लिए दिनांक 11.08.2006 की अधिसूचना में निर्धारित लेट फीस जमा कराई है। अतः देरी से आवेदन करने के आधार पर दिनांक 26.03.2012 की अधिसूचना लागू नहीं की जा सकती है। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में जो ई.सी. दर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में निर्धारित थी, वही लागू होगी।

9. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर सशक्त अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह अपीलार्थी व्यवहारी का पुनः कर निर्धारण आदेश, मुक्ति योजना के तहत राज्य सरकार की द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के अनुसार पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य